बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं. / 124 / 2018–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
पावर ग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड,
सीतामढ़ी

पटना 14, दिनांक–

विषय – 400 के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी–मोतिहारी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1852 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध बौनी प्रजाति के पौधों की रोपण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग – इस कार्यालय का पत्रांक 592 दिनांक 07.07.2020 एवं वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान का पत्रांक 1321 दिनांक 03.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 592 दिनांक 07.07.2020 में अधिरोपित शर्त्त संख्या (viii) के आलोक में वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 1321 दिनांक 03.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु रू० 26,47,973/– (रूपये छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू० 287/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप बौनी प्रजाति के पौधो के रोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. उपर्युक्त बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण मद की कुल राशि रू० 26,47,973/– (रूपये छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 592 दिनांक 07.07.2020 में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि राज्य सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करनें की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/—
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ब.सं. / 124 / 2018—843 दिनांक—21/09/2020

प्रतिलिपि— वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।